महात्मा गांधी की 125वीं जयंती का मनाया जाना

6083. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी की 125वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त योजना में किसी प्रकार से संसद सदस्यों को भी शामिल करने की कोई व्यवस्था है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) महात्मा गांधी की 125 वीं जयंती मनाने तथा कार्यक्रम व कार्यकलाप तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है । राष्ट्रीय समिति में, अन्यों के साथ-साथ माननीय संसद-सदस्य भी शामिल हैं ।

Nutrition Programmes in Rajasthan

6084. **SHRI RAJENDRA PRASAD MODY:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to launch some nutrition programmes in some States of the country in view of the increasing malnutrition situation;

(b) if so, whether any nutrition programmes have been launched so far in those States and specially in Rajasthan; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) SMT. BASAVA RAJESHWAR:

(a) Keeping in view the concern about the problem of malnutrition effecting the vulnerable segments of the population such as pre-school children as well as expectant and nursing women in different parts of the country, the Government has already been implementing a number of nutrition and nutrition related programmes in different States/U.Ts.

(b) The major nutrition programmes launched by the Government in different States and U.Ts. including Rajasthan are Integrated Child Development Services Scheme, Adolescent Girls Scheme, Mid Day Meal Programme, Nutritional Anaemia Prophylaxis Programme, Prophylaxis Programmes against Blindness due to Vitamin "A" Deficiency, National IDD control Programme Universal Immunization Programme, Child Survival and Safe Motherhood Programme and Nutrition Education and Extension Programme.

(c) Does not arise.

Malnutrition in the country

6085. **SMT. KAMLA SINHA:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 250 million people in the country suffer from malnutrition; and

(b) if so, what steps Government have taken or propose to take to ameliorate this staggering extent of nutrition deficiency?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) SMT. BASAVA RAJESHWAR: (a) Around 250 million people suffer from varying degrees of malnutrition such as underweight, low haemoglobin level, deficiency of vitamins or minerals, iodine deficiency disorders.

(b) To reduce the prevalance of malnutrition in the country apart from such long term measures like, making available essential food items at subsidised cost through Public Distribtion system; Improving the purchasing power of the people through Income Generating Schemes; certain other intervention programmes have also been launched by the Government which include the scheme of Integrated Child Development Services (ICDS), Balwadi Nutrition Programme, Mid Day Meals Programme for school children, Nutritional Anaemia Prophylaxie Programme, Goitre Control Programme and Programme for Prevention of Nutritional Blindness due to Vitamin A deficiency, as well as Nutrition Education Programme. The National Nutrition Policy has also been adopted recently with aview to tackle the problem of nutrition both through direct nutrition interventions for special vulnerable groups as well as through various development policy instruments which will create conditions for improved nutrition.

महिला स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय ऋण

6086. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए राष्ट्रीय महिला कोष से वित्तीय ऋण देने तु देश में कुछ स्वैच्छिक संगठनों का वमन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों संबंधी कार्यक्रमों हेतु इन स्वैच्छिक महिला संगठनों को वित्तीय ऋण प्रदान करने का निर्णय किया है ;

(ग) इन संगठनों को दिए जाने वाले वित्तीय ऋणों का इन संस्थाओं के नाम सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अल्पावधि और मध्यावधि ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं ; और

(घ) गत वर्ष के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष को कितना ऋण आवंटित किया और वर्ष 1994–95 हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवाराजश्वरी) : (क) जी, हां । सरकार ने एक राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित किया है जो अनौपचारिक क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को ऋण प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को ऋण उपलब्ध कराएगा ।

(ख) ये ऋण अनौपचारिक क्षेत्रों में आयोत्पादक कार्यकलाप शुरू करने हेतु निर्धन महिलाओं को उपलब्ध कराए जायेंगे ।

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा निर्धारित दिशा-निदर्शों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है । वर्ष 1993–94 के दौरान जिन संगठनों को ऋण सुविधायें स्वीकृत की गई, उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है **(नीचे देखिए)**

(घ) राष्ट्रीय महिला कोष को वर्ष 1992–93 के दौरान इसकी स्थापना के समय 31 करोड़ रुपए की कोरपस निधि उपलब्ध कराई गई थी । वर्ष 1993-94 तथा 1994–95 दोनों वर्षों के दौरान एक लाख रुपए की योजना प्रावधान रखा गया था ।

विवरण –1

राष्ट्रीय महिला कोष के दिशा-निर्देशों का विस्तृत ब्यौरा

राष्ट्रीय महिला कोष, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता दलों, महिला ऋण-सहकारिताओं तथा महिला विकास निगमों के मार्फत ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा ।